न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
49 / दावा / 2023 पुराना 13 / दावा / 2022	27.06.2022	**हरबिन्दर डी0 सिंह,** आर0ए0एस0

चेतन्य कुमार जाजू पुत्र श्री भागीरथ जाति महाजन निवासी कार्तिक कोलोनी, सीलोर रोड़, बून्दी तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

–वादी

–बनाम–

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी राज०।
2. चन्दा देवी पुत्री भागीरथ पत्नी महावीर प्रसाद जाति महाजन निवासी मोतीनगर बून्दी तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भागीरथ जाति महाजन निवासी कार्तिक कोलोनी, सीलोर रोड़, बून्दी तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।
4. विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री भागीरथ जाति महाजन निवासी कार्तिक कोलोनी, सीलोर रोड़, बून्दी तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।
5. सत्यनारायण पुत्र श्री भागीरथ जाति महाजन निवासी कार्तिक कोलोनी, सीलोर रोड़, बून्दी तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वाद– अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वास्ते राजस्व रेकार्ड में नाम संशोधन बाबत्।

निर्णय

दिनांक–17.01.2025

उपस्थित– वादी की ओर से एडवोकेट दिलीप सिंह गौड़।
प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार।

वाद–पत्र वादी द्वारा पेश किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि खाता संख्या नया 846 व पुराना 762 की कृषि भूमि खसरा संख्या 158 रकबा 0.0538 हेक्टेयर, खसरा संख्या 160 रकबा 0.3999 हेक्टेयर, खसरा संख्या 161 रकबा 0.5306 हेक्टेयर, खसरा संख्या 162 रकबा 0.1230 हेक्टेयर, खसरा संख्या 163 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1847 रकबा 2.6607 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1848 रकबा 0.3230 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1850 रकबा 0.1538 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2190 हेक्टेयर रकबा 0.8459 हेक्टेयर, खसरा संख्या 3748 रकबा 0.2538 हेक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 5.4445 हेक्टेयर एवं खाता संख्या नया 217 व पुराना 203 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3462 / 1995 रकबा 2.4070 हेक्टेयर, खसरा संख्या 3747 रकबा 0.3845 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.7915 हेक्टेयर वाके ग्राम माटून्दा पटवार हल्का माटून्दा तहसील व जिला बूंदी में स्थित हैं, जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में संयुक्त खातेदारान के साथ चेतनकुमार पुत्र भागीरथ हिस्सा 11 / 45 व हिस्सा 1 / 4 खातेदार कृषक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी चेतन्य कुमार जाजू का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से चेतन कुमार पुत्र भागीरथ अंकित कर दिया गया हैं जो कि वादी का घर का बोलता नाम हैं। जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो में वास्तविक नाम चेतन्य कुमार जाजू पुत्र भागीरथ हैं। वादी अपने स्वामित्व व आधिपत्य की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार चेतनकुमार पुत्र भागीरथ के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम चेतन्य कुमार जाजू पुत्र भागीरथ दर्ज करवाना चाहता हैं जो इन्द्राज दुरुस्त करवाकर उसके स्थान पर वास्तविक नाम चेतन्य

कुमार जाजू पुत्र भागीरथ जाति महाजन निवासी कार्तिक कोलोनी, बूंदी तहसील व जिला बूंदी दर्ज कराने का वादी कानूनी रूप अधिकारी हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कई बार मौखिक व लिखित में उक्त इन्द्राज दुरूस्ती के लिए निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी का नाम इन्द्राज दुरूस्त कर वास्तविक नाम चेतन्य कुमार जाजू पुत्र भागीरथ आज तक दर्ज नहीं किया हैं, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में वादी का सही नाम दर्ज नहीं किया गया है, जिससे वादी को उक्त भूमि के सुधार कृषि ऋण व रहन, विक्रय व हस्तान्तरण करने में बाधा उत्पन्न हो रही हैं। वादी द्वारा इत्यादित अंकित कर निवेदन हैं कि उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम चेतनकुमार पुत्र भागीरथ के इन्द्राज को दुरुस्त कर संशोधित वास्तविक नाम चेतन्यकुमार जाजु पुत्र भागीरथ जाति महाजन निवासी कार्तिक कोलोनी, बूंदी तहसील व जिला बूंदी दर्ज करावें।

उक्तानुसार वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 द्वारा वादी की प्रार्थना को स्वीकार कर इकबालियां जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बावजूद अवसर जवाब पेश नहीं करने से इनका जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार, बून्दी द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/2025/255 दिनांक 15.01.2025 से अवगत कराया हैं कि वादी ग्राम माटून्दा जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 वर्ष 2019 के खाता संख्या 846, 217 के संयुक्त खातेदारों के साथ चेतन कुमार पुत्र भागीरथ कौम महाजन साकिन देह खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। जो चेतन कुमार से चेतन्य कुमार जाजू शुद्ध करवाना चाहता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, आधारकार्ड, जनाधार, पेनकार्ड आदि में नाम चेतन्य कुमार जाजू हैं। उक्त नाम चेतन कुमार, भागीरथ का फोती नामान्तकरण संख्या 413 से दर्ज हुआ है। जो चेतन कुमार को चेतन्य कुमार जाजू संशोधन किया जाना उचित ही हैं।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि वाद विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में सहवन से घर का नाम चेतन कुमार अंकित कर दिया हैं जबकि वादी का दस्तावेजी नाम चेतन्य कुमार जाजू हैं। राजस्व रेकार्ड में चेतन्य कुमार जाजू अंकित होने से वादी को अपने काश्तकारी कार्य में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा हैं। इसलिये श्रीमान् से निवेदन हैं कि वाद विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम चेतन्य कुमार जाजू अंकित करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न ग्राम माटून्दा के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी अनुसार खाता संख्या 846 पुराना 762 कुल किता 10 कुल रकबा 5.4445 है0 व खाता संख्या 217 पुराना 203 कुल किता 2 कुल रकबा 2.7915 है0 में वादी का नाम चेतनकुमार पुत्र भागीरथ जाति महाजन सा0 देह खातेदार अंकित हैं। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी चेतनकुमार व चेतन्य कुमार जाजू वादी के ही नाम हैं। इसलिये वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना एवं वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में चेतनकुमार के स्थान पर चेतनकुमार उर्फ चेतन्य कुमार जाजू किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम माटून्दा के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी अनुसार खाता संख्या 846 पुराना 762 की आराजी खसरा संख्या 158, 160, 161, 162, 163, 1847, 1848, 1850, 2190, 3748 कुल किता 10 कुल रकबा 5.4445 है0 तथा खाता संख्या 217 पुराना 203 की आराजी खसरा संख्या 3462/1995, 3747 कुल किता 2 कुल रकबा 2.7915 है0 में काश्तकार के नाम में अंकित प्रविष्टी "चेतनकुमार पुत्र भागीरथ" के स्थान पर "चेतनकुमार उर्फ चेतन्य कुमार जाजू पुत्र भागीरथ" अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तदनुसार तहसीलदार, बून्दी को चिट्ठी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी